संख्या : 2269 / 1–10–2008–12(73) / 2008

प्रेषक,

जी0के0 टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
झाँसी, जालौन, ललितपुर, महोबा, बाँदा, चित्रकूट,
हमीरपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र एवं कानपुर नगर।

राजस्व अनुभाग –10 लखनऊ दिनांक 21 अप्रैल, 2008

विषय: सूखे से प्रभावित जनपद / तहसील में लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा खेतिहर मजदूरों के पशुओं की सुरक्षा हेतु ग्राम सभा स्तर पर पशु शिविर / आश्रय स्थल हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 610 / 1–10–2008–12(73) / 2007 टी0सी0 दिनांक 31 जनवरी, 2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय सूखे से प्रभावित जनपद / तहसील में लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा खेतिहर मजदूरों के पशुओं की सुरक्षा हेतु ग्राम सभा स्तर पर भी आवश्यकतानुसार पशु शिविर / आश्रय स्थल की स्थापना हेतु निम्नांकित धनराशि आपके निर्वतन पर रखने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं–

क्रमांक	जनपद / तहसील का नाम	आवंटित धनराशि (रु0 में)
1	झाँसी	50,00,000 /
2	जालौन	50,00,000 /
3	ललितपुर	50,00,000 /
4	महोबा	50,00,000 /
5	बाँदा	50,00,000 /
6	चित्रकूट	50,00,000 /
7	हमीरपुर	50,00,000 /
8	मिर्जापुर	50,00,000 /
9	सोनभद्र	50,00,000 /
10	तहसील घाटमपुर (कानपुर नगर)	15,00,000 /
	योग	**4,65,00,000 / –**
		(रुपये चार करोड़ पैंसठ लाख मात्र)

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या –51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03–राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय –42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. विगत वर्षो में सामान्य से कम वर्षा होने के कारण कृषि क्षेत्र प्रभावित है, जिसके कारण ग्रीष्म ऋतु में लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा खेतिहर मजदूरों द्वारा पाले जा रहे पशुओं की जीवन सुरक्षा हेतु चारे की विकट समस्या है। इसप्रकार पशुओं को एक स्थान पर चारे की व्यवस्था कराकर उनकी जीवन रक्षा की जा सकती है।

4. लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा खेतिहर मजदूरों के पशुओं की सुरक्षा हेतु ग्राम सभा स्तर पर भी जिलाधिकारी आवश्यकतानुसार पशु शिविर/आश्रय स्थल की स्थापना हेतु आवश्यकतानुसार अधिकृत सूचना/माँग प्राप्त होने पर औचित्य का परीक्षण करेगें तथा आश्वस्त होने के उपरान्त ही आश्रय स्थल की स्थापना करेंगे।

5. ग्राम सभा स्तर पर स्थापित होने वाले पशु आश्रय स्थल/शिविर के चयन एवं सूखा चारा क्रय हेतु **जनपद स्तरीय समिति** निम्नानुसार होगी–

1.	जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि (जो अपर जिलाधिकारी स्तर से कम न हो)	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी का प्रतिनिधि (जो जिला स्तरीय अधिकारी के स्तर का हो)	सदस्य
3.	जिलाधिकारी द्वारा नामित वित्त/लेखा सेवा का अधिकारी	सदस्य
4.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	सदस्य

6. पशु आश्रय स्थल/शिविर स्थल के चयन एवं संचालन में अत्यन्त सर्तकता बरती जाय ताकि इस योजना के दुरूपयोग की सम्भावना न रह सके। शिविर स्थल पर पशुओं को पीने के पानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

7. जिले में स्थापित गौशालाओं में भी इस योजना को चलाया जाना अनुमन्य होगा। गौशाला के चयन में अन्तिम निर्णय जिलाधिकारी का होगा।

8. यह योजना 30 जून, 2008 तक के लिये ही अनुमन्य होगी। योजना के कियान्वयन हेतु आपदा राहत निधि की गाइड लाइन्स के निर्देशों तथा Flood and Other Natural Calamities Mannual, Uttar Pradesh के Chapter -X -- Drought में उल्लिखित व्यवस्था का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. सूखा चारा की आवश्यकता का आंकलन कर क्रय की समुचित कार्यवाही निविदा के माध्यम से नियमानुसार सम्पादित की जायेगी। प्रस्तर –5 के अनुसार जिला स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर सूखा चारा की आवश्यकता का आंकलन कर सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा शासनादेश संख्या–जी0आई0–134/1–11–2007–46/97 दिनांक 31 जुलाई, 2007 में इंगित मद संख्या –7 के बिन्दु –2 के अनुसार धनराशि व्यय की जायेगी।

10. उक्त आवंटित धनराशि में से 60 प्रतिशत धनराशि का उपभोग होने पर अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता का आंकलन करके धनावंटन प्रस्ताव तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाना होगा।

11. ग्राम सभा स्तर पर स्थापित होने वाले पशु आश्रय स्थल/शिविर के प्रबन्धन/कियान्वयन हेतु समिति निम्नानुसार गठित की जायेगी:–

1.	ग्राम सभा का ग्राम प्रधान	अध्यक्ष
2.	ग्राम सभा द्वारा नामित एक प्रगतिशील पशुपालक	सदस्य
3.	जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी	सदस्य सचिव

पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या 610/1–10–2008–12(73)/2007 टी0सी0 दिनांक 31 जनवरी, 2008 के अनुसार निर्धारित अभिलेखों का रख रखाव तथा शिविरों का संचालन ग्राम सभा स्तरीय प्रबन्धन समिति के सदस्य सचिव द्वारा किया जायेगा एवं सदस्य सचिव द्वारा समिति के सहयोग एवं देख रेख में शिविरों का संचालन किया जायेगा।

12. पशु शिविर/आश्रय स्थल पर पशुओं को खिलाने–पिलाने एवं देख–रेख हेतु प्रति 30 पशुओं पर एक दैनिक मजदूर की व्यवस्था की जायेगी, जिसकी मजदूरी का भुगतान प्रति सप्ताह रोजगार सृजन योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

13. जिलाधिकारी पशु शिविर/आश्रय स्थल का निरीक्षण/सत्यापन अपने स्तर से विभिन्न अधिकारियों के माध्यम से समय–समय पर कराना सुनिश्चित करेंगे तथा निरीक्षण के दौरान कोई अनियमितता पाये जाने की स्थिति में अपनी रिर्पोट शासन को उपलब्ध करायेंगे।

14. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा।

15. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय। मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या –1693/1–11–2005–रा0–11 दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 5 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त

की वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते सम्भावित हों तो उन्हें दिनांक 10 जुलाई, 2008 तक अनिवार्य रूप से शासन को समर्पित कर दिया जाय।

16. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड –5 भाग –1 के प्रस्तर –369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या 42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

17. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(जी0के0 टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव

संख्या : 2269(1)/1–10–2008–12(73)/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (आडिट प्रथम), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, झाँसी, चित्रकूटधाम मिर्जापुर एवं कानपुर।
3. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, झाँसी, जालौन, ललितपुर, महोबा, बाँदा, चित्रकूट, हमीरपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र एवं कानपुर नगर।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग –5।
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/राजस्व अनुभाग –11।
8. चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जी0के0 टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव